



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर ताल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: F-JDA/PRN-South-2/2024/3

नाम-हस्तान्तरण पत्र

दिनांक: 31 Dec 2024

Name Transfer Letter

M/S DREMS HOMES DEVELOPERS THROUGH PARTNER RAMCHANDRA S/o, D/o,
W/o MOTIRAM

174 B OFFICERS ENCLAVE TAKIYA KI CHOWKI KALWAR ROAD JAIPUR

MAHAVIR SINGH S/o, D/o, W/o JAGDISH PRASAD

174 B OFFICERS ENCLAVE TAKIYA KI CHOWKI KALWAR ROAD JAIPUR

MOTI RAM SUNDA S/o, D/o, W/o NARAYAN RAM

174 B OFFICERS ENCLAVE TAKIYA KI CHOWKI KALWAR ROAD JAIPUR

विषय- योजना JAITRAM NAGAR-PRN विकासकर्ता SHANKAR BHAWAN GNSS के भूखण्ड
संख्या D-1&D-2-NP (पूर्व भूस्वामी kailash chand talwariya) का नाम हस्तान्तरण बाबत ।

संदर्भ- नागरिक सेवा केंद्र आवेदन संख्या 197481

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन से आप द्वारा योजना JAITRAM NAGAR-PRN
विकासकर्ता SHANKAR BHAWAN GNSS के भूखण्ड संख्या D-1&D-2-NP के हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत
आवेदन पत्र पर नाम हस्तांतरण उन्ही नियमों एवं शर्तों पर किया जाता है जिन नियमों एवं शर्तों पर
उक्त भूखंड का पट्टा पूर्व में जारी किया गया था ।

उपरोक्त नाम हस्तांतरण केवल प्राधिकरण द्वारा मानचित्र अनुमोदन करने एवं ऋण इत्यादि प्राप्त
करने के लिए प्राधिकरण के रिकॉर्ड में इंद्राज किया जाता है । जयपुर विकास प्राधिकरण सक्षम नियमों
के अंतर्गत निर्मित भूखण्डों के सेटबैक्स इत्यादि में किए गए अनाधिकृत निर्माण के लिए नियमानुसार
कार्यवाही करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा । नाम हस्तांतरण की कार्यवाही से कोई वैधानिक
अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो नियमों के अन्यथा हो तथा उक्त भूखंड के प्रति बकाया राशि आप स्वयं
जमा करायेंगे ।

यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अगर कोई तथ्य भिन्न पाये जाते हैं या इन दस्तावेजों
की वैधता को लेकर स्वामित्व बाबत कोई तथ्य / बात उत्पन्न होती है तो (Prima facie ab-initio
void) सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी आपकी होगी एवं यह नाम हस्तांतरण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा ।



Signed by: Sanjeev Kumar Sharma
Designation: Deputy Commissioner,
(PRN-South-2)
Location: Jaipur Development Authority
Jaipur
Date: 31/12/2024 16:48:46

जयपुर विकास प्राधिकरण

साईट प्लान

Reconstitution

भूखण्ड संख्या - D-1&D-2(North-part)

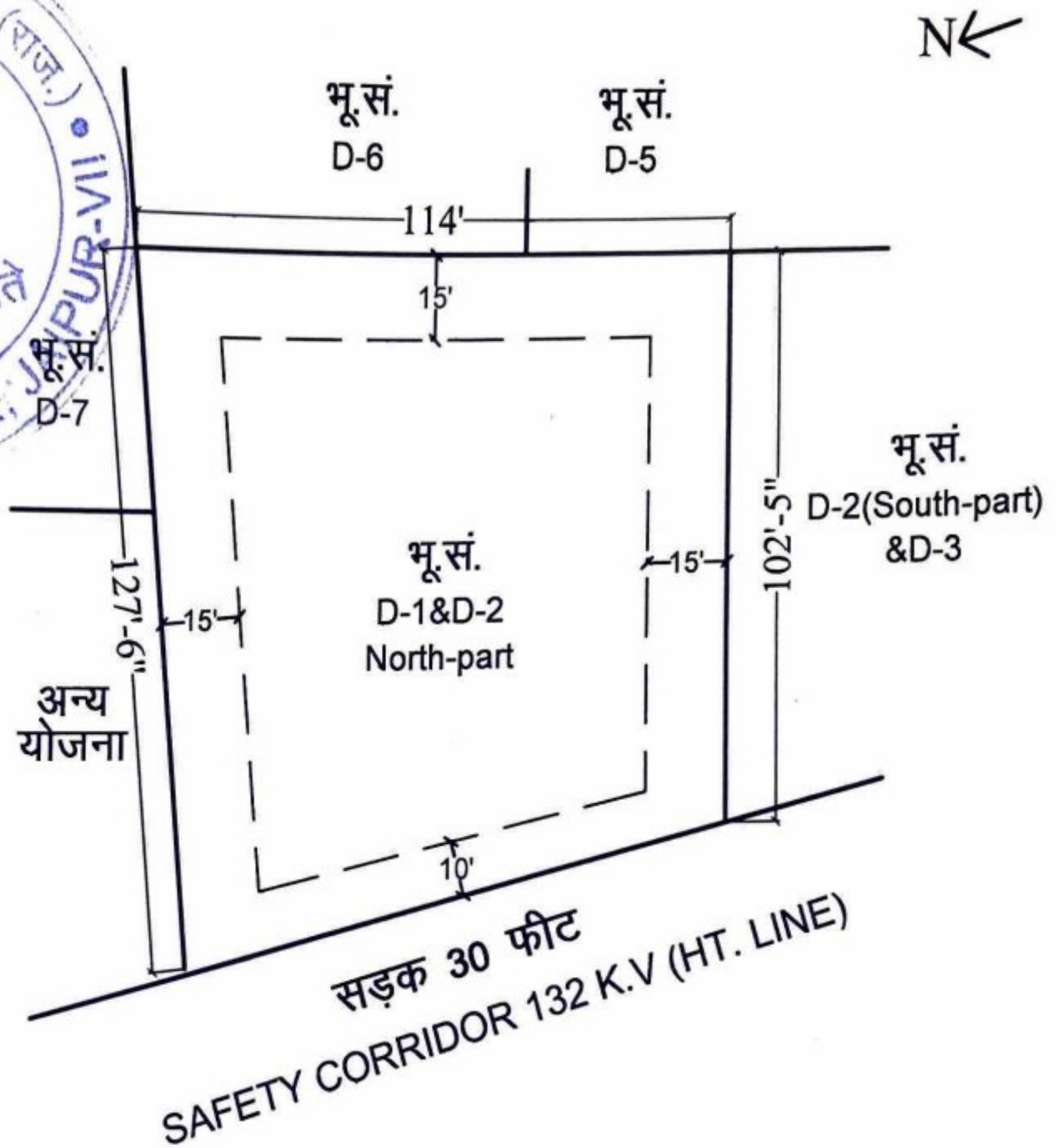
योजना का नाम - जैतराम नगर (खेजडा का बास)

विकासकर्ता - शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

भूखण्ड का क्षेत्रफल - 1329.59 वर्गज

पैमाना - 1 इंच = 40 फीट

भू-उपयोग - आवासीय



नोट- भवन निर्माण स्वीकृति एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार लागू होगी।

कनिष्ठ / सहायक अभियंता
पी.आर.एन.(दक्षिण-II)

सहायक/उप नगर नियोजक
पी.आर.एन.(दक्षिण-II)

उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण (दक्षिण-II)
जयपुर, जयपुर